राज्यपाल सचिवालय
राजभवन, जयपुर

प्रेषक :

सचिव,
राज्यपाल, राजस्थान,
जयपुर।

प्रेषिति :

कुलपतिगण,
समस्त राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय,
राजस्थान

क्रमांकः एफ.1(2)आर.बी. / 2021पार्ट–2 / 116   दिनांकः 07 जनवरी, 2025

विषय :– ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ (उ.प्र.) के कुलपति पद पर नियुक्ति संबंधी विज्ञापन संबंधित विश्वविद्यालयों की वेबसाईट पर अपलोड किये जाने के संबंध में।

महोदय / महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश से प्राप्त पत्र क्रमांक ई–9711 / जी.एस दिनांक 31.12.2024 बाबत ''ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ (उ.प्र.) के कुलपति पद पर नियुक्ति संबंधी विज्ञापन संबंधित विश्वविद्यालयों की वेबसाईट पर अपलोड किये जाने के संबंध में'' की छायाप्रति संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भवदीय,

संलग्नः–उपरोक्तानुसार

(मुकेश कुमार कलाल)
उप सचिव
राज्यपाल, राजस्थान

ई–मेल

राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश
लखनऊ–226027

संख्या : ई–9711 / जी0एस0
दिनांक : दिसम्बर 30, 2024

प्रेषक,

श्री राज्यपाल / कुलाधिपति के अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

प्रमुख सचिव / सचिव, श्री राज्यपाल,
समस्त राज्य,
भारत।

महोदय,

उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ (उ0प्र0) में एक प्राचीन विश्वविद्यालय स्थापित है।

उपर्युक्त विश्वविद्यालय के कुलपति पद पर नियुक्ति सम्बन्धी प्रकिया वर्तमान में विचाराधीन है। इस सम्बन्ध में विज्ञापन संख्या : ई–9668 / 2024, दिनांक दिसम्बर 30, 2024 (हिन्दी / अंग्रेजी की प्रति संलग्न) को प्रकाशित कराया जा रहा है। मा0 राज्यपाल, उत्तर प्रदेश द्वारा उपर्युक्त विज्ञापन को समस्त प्रदेशों के विश्वविद्यालयों की वेबसाइट पर भी अपलोड कराने के निर्देश दिये गये है।

अतः इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने प्रदेशों से सम्बन्धित विश्वविद्यालयों की वेबसाइट पर उपर्युक्त विज्ञापन को अपलोड कराने का कष्ट करें।

संलग्नक :– यथोपरि।

भवदीय,

(डॉ0 सुधीर एम0 बोबडे)
अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उ0प्र0।

709

राज भवन, लखनऊ

ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ (उ.प्र.) के कुलपति के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित करने के संबंध में सूचना

विज्ञापन संख्या : ई–9668/2024 दिनांक : दिसम्बर 30, 2024

ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ (उ.प्र.), जो कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क. 10 सन् 1973) के अन्तर्गत स्थापित है, के कुलपति की नियुक्ति उक्त अधिनियम की धारा–12 के अधीन गठित समिति द्वारा अनुसंशित पैनल में से कुलाधिपति के द्वारा की जानी प्रस्तावित है।

कुलपति का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने के दिनांक से 03 वर्ष की अवधि के लिए अथवा अपनी आयु 68 वर्ष पूर्ण करने तक, जो भी पहले हो, के लिए होगा। कुलपति के पद हेतु केवल वही व्यक्ति पात्र होगा जिसने 65 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो।

चूंकि कुलपति विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होता है, इसलिये अभ्यर्थी में उच्च कोटि की क्षमता, सत्यनिष्ठा, नैतिकता एवं संस्थागत वचनबद्धता होनी चाहिए। अभ्यर्थी को विख्यात शिक्षाविद होने के साथ–साथ ठोस प्रशासनिक अनुभव भी होना चाहिए।

विश्वविद्यालय में नियुक्त व कार्यरत वर्तमान कुलपति का कार्यकाल पूर्ण हो जाने एवं उक्त विज्ञापित पद रिक्त होने के पश्चात् ही इस विज्ञापन के माध्यम से नवनियुक्त कुलपति द्वारा कार्यभार ग्रहण किया जा सकेगा।

कुलपति पद के लिए इच्छुक अभ्यर्थी राज भवन की वेबसाइट "www.upgovernor.gov.in" पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप में अपना आवेदन दिनांक 27.01.2025 (सोमवार) तक केवल ऑन लाइन (**On Line**) प्रेषित कर सकते है।

निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त होने वाले किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल,
उत्तर प्रदेश।

RAJ BHAVAN, LUCKNOW.

NOTICE INVITING APPLICATIONS FOR APPOINTMENT OF VICE CHANCELLOR FOR KHWAJA MOINUDDIN CHISHTI LANGUAGE UNIVERSITY, LUCKNOW (U.P.)

Advt. No. E-9668/2024

Dated : December 30, 2024

It is proposed to appoint the Vice-Chancellor for Khwaja Moinuddin Chishti Language University, Luckow (U.P.), established under the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973 (No. 10 of 1973) by the Chancellor, out of a panel to be recommended by a Committee appointed in terms of Section- 12 of the said Act.

The Vice-Chancellor shall hold office for a term of 03 years from the date on which he/she enters upon his/her office or till he/she attains the age of 68 years whichever is earlier. Only such person shall be eligible for appointment to the office of Vice Chancellor who has not attained the age of 65 years.

As the Vice Chancellor is the Principal Executive and Academic Officer of the University, he/she should have highest level of competence, integrity, morals and institutional commitment. He/She is required to have sound administrative acumen besides being a distinguished person in the field of Education.

The newly appointed Vice Chancellor can take charge through this advertisement only after the tenure of the present Vice Chancellor appointed and working in the University is completed and the said advertised post becomes vacant.

The applicant for the post of Vice-Chancellor may send his/her application **Online only** in prescribed format available on the website **"www.upgovernor.gov.in"** on or before **27-01-2025 (Monday)**.

Any application received after the prescribed date shall not be considered.

30.12.24

Additional Chief Secretary to the Governor,
Uttar Pradesh.